उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

संख्याः पीआरपीबी–चार–5(15)/2021 दिनांकः दिसम्बर 07 ,2021

विज्ञप्ति

उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, पी0ए0सी0 के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के सम्बन्ध में अर्ह अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचना :–

मुख्य आरक्षी पी0ए0सी0 से उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 के 1608 पदों पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु पात्र कर्मियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु "उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015" में निर्धारित मानक निम्नवत हैः–

पदनाम जिसके लिये प्रोन्नति की जानी है	**शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित दूरी/निर्धारित समय**	
उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर	3.2 कि0मी0	35 मिनट

2– उपर्युक्त पदों पर **शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 27.12.2021 से 31.12.2021 तक होनी प्रस्तावित** है। उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 के पद पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की उनके नियुक्ति जनपद/वाहिनी/इकाईवार सूची तथा प्रवेश पत्र यथासमय अपनी नियुक्ति जनपद/वाहिनी/ इकाई/विभाग के विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त किये जा सकेंगे। प्रवेश पत्रों को बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड करने व नियत तिथि पर शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित होने का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थियों का होगा। अर्ह अभ्यर्थी प्रवेश पत्र अपने कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करके प्रवेश पत्र में लगे फोटोग्राफ को सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित करायेगें।

2– साथ ही यह भी अवगत कराना है कि "उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015" में शारीरिक दक्षता परीक्षा में दूसरा अवसर प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले कार्मिकों को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

3– कामिकों को यह भी सूचित किया जाता है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व उनके द्वारा कोविड के दोनों टीके लगवाया जाना अति आवश्यक है। यदि किसी कार्मिक द्वारा कोविड के दोनों टीके नहीं लगवाये गये हैं, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व उनके द्वारा 72 घण्टे के भीतर आर0टी0पी0सी0आर0 निगेटिव की रिपोर्ट लाना आवश्यक होगा।

07.XII.2021

अपर सचिव, प्रोन्नति
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।